कार्यालय वन मण्डल अधिकारी दक्षिण वनमण्डल शहडोल

जिला-शहडोल ४८४००१ (मध्यप्रदेश)

फोन (कार्या–240304) (निवास–241443) (फैक्स–240304) ई–मेल– **dfotsshahd@mp.gov.in**

क्रमांक/मा.वि./2024/ 2602 शहडोल, दिनांक : 22/03/2024

प्रति,

मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड
मिनरल्स लिमिटेड,
रायपुर (छत्ती.)

विषयः– वनमण्डल दक्षिण शहडोल के परिक्षेत्र शहडोल के विभिन्न खसरों के रकवा 15.549 हे. राजस्व वनभूमि एवं वनमण्डल उमरिया के परिक्षेत्र घुनघुटी के वन कक्ष RF-227 & PF-779 के रकवा 46.488 हे. वनभूमि तथा विभिन्न खसरों की रकवा 18.553 हे. राजस्व वनभूमि कुल 80.59 हे. वनभूमि में शाहपुर पश्चिम कोल ब्लॉक अन्तर्गत भूमिगत कोयला उत्खनन तथा उपरिसतह उपयोग के व्यपवर्तन का –मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, रायपुर (छत्ती.) का प्रस्ताव में प्रभावित राजस्व वनभूमि की नेट प्रेजेन्ट की राशि की पुष्टि करने बावत्।

संदर्भः– 1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र दिनांक 12.02.2024.

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू प्रबन्ध भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ–1/839/2023/10–11/ 1582 दिनांक 14.03.2024.

-☆☆☆-

संदर्भित पत्र क्र. 1 से भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रकरण में वनमण्डल दक्षिण शहडोल के परिक्षेत्र शहडोल के विभिन्न खसरों के रकवा 15.549 हे. राजस्व वनभूमि एवं वनमण्डल उमरिया के परिक्षेत्र घुनघुटी के वन कक्ष RF-227 & PF-779 के रकवा 46.488 हे. वनभूमि तथा विभिन्न खसरों की रकवा 18.553 हे. राजस्व वनभूमि कुल 80.59 हे. वनभूमि में शाहपुर पश्चिम कोल ब्लॉक अन्तर्गत भूमिगत कोयला उत्खनन तथा उपरिसतह उपयोग के व्यपवर्तन हेतु सैद्धांतिक सशर्त प्रथम चरण की अनुमति जारी की गई है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू प्रबन्ध भोपाल द्वारा पत्र दिनॉक 19.02.2024 से अधिरोपित समस्त शर्तो का शर्तवार पालन आवेदक संस्थान से कराकर पूर्ण पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन अपलोड करते हुये पालन प्रतिवेदन टेबुलर फार्म में भेजने के निर्देश दिये गये हैं।

भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त क्रमांक V के पालन में नेट प्रेजेन्ट वैल्यू की राशि वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 के तहत 3-D Prediction Model के तहत राशि जमा कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/5–3/2011–FC(VoL-I) दिनांक 06.01.2022 से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत स्वीकृत प्रकरणों में नेट प्रेजेन्ट वैल्यू की राशि शर्त क्रमांक 4 के XIII Under Ground Mining के लिये Surface strain predicted by 3-D subsidence prediction model के अनुक्रमांक II के अनुसार 5 एम.एम. से 10 एम.एम. प्रति मीटर हेतु 10 प्रतिशत की सामान्य दर से एन.पी.व्ही. की राशि जमा कराये जाने के निर्देश हैं।आपके द्वारा प्रस्तुत Mining subsidence study report for shahpur west coal block in shahdol के अनुसार 20 वर्षो तक Tensile strain 9.45 mm Per meter प्रस्तावित है, जिसे ऑनलाईन पार्ट–1 में अपलोड किया गया है तथा हार्ड कॉपी प्रस्ताव में संलग्न की गई है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू प्रबन्ध भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ–1/829/2021/ 10–11/1871 दिनांक 26.05.2022 से जारी निर्देशानुसार मध्यप्रदेश में ईको क्लास–III Tropical Dry Deciduous Forest पाया जाता है। भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार ईको क्लास–III Tropical Dry Deciduous Forest के लिये निर्धारित दर 12,28,590.00 प्रति हेक्टेयर से 10 प्रतिशत की एन.पी.व्ही. की राशि 19,10,335.00 रूपये होती है। राशि जमा हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू प्रबन्ध भोपाल को प्रतिवेदन सहमति हेतु प्रेषित किया गया था। संदर्भित पत्र क्र. 2 से आवेदक संस्थान से उक्त राशी जमा कराये जाने की सहमति जारी की गयी है।

अतः भारत सरकार द्वारा जारी शर्त क्रमांक V के पालन में नेट प्रेजेन्ट वैल्यू की राशि वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 के तहत 3-D Prediction Model के अनुसार वनमण्डल दक्षिण शहडोल के अंतर्गत प्रभावित राजस्व वनभूमि रकवा 15.549 हे. की 10 प्रतिशत एन.पी.व्ही. की राशि रू. 19,10,335.00 ऑनलाइन ई–पोर्टल के माध्यम से एड–हॉक कैम्पा में जमा करें तथा अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें ताकि अग्रिम कार्यवाही किया जा सके।

(श्रद्धा पन्द्रे)
वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल दक्षिण शहडोल

पृ.क्रमांक/मा.चि./2024/ शहडोल, दिनांक : /2024

प्रतिलिपि :-
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू प्रबन्ध वन भवन तुलसीनगर भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, वन वृत्त शहडोल की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल दक्षिण शहडोल

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल उमरिया (म०प्र०)

Office Ph.No.- 07653-222217, Mb.No. 9424794505, email id - dfotumaria@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2024/ 1034 उमरिया, दिनांक /16/04/2024

प्रति

मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड
इंस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर सिलतारा
रायपुर (छ.ग.)

विषयः- शाहपुर वेस्ट कोल ब्लाक हेतु प्रस्तावित 80.590 हे0 वनभूमि मे से वनमण्डल उमरिया अन्तर्गत 65.041 हे0 वनभूमि मेसर्स सारदा एनर्जी एन्ड मिनरल्स लिमिटेड को उपयोग पर देने बावत। (प्रकरण क्रमांक FP/MP/MIN/151378/2022)

संदर्भ :- 1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र दिनांक 12.02.2024

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) वनभवन भोपाल म.प्र. का पत्र क्रमांक/एफ-1/839/2023/10-11/1114 दिनांक 19.02.2024

विषयांतर्गत, प्रकरण की भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के संदर्भित पत्र द्वारा अधिरोपित शर्तो के तहत प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति जारी किया गया है एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के संदर्भित पत्र द्वारा प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है, जो आपको भी पृष्ठांकित है का अवलोकन करे।

अत: स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र0-V के अनुपालन में NPV गणना निम्नानुसार है।

<table>
<tr><th>क्र0</th><th>वनो की ईको वैल्यू श्रेणी</th><th>वन परिक्षेत्र का नाम</th><th>कक्ष क्रमांक</th><th>क्षेत्रफल (हे0)</th><th>वनो का घनत्व</th><th>निर्धारित दर (एन.पी.वी. हेतु) (रूपये में)</th><th>आवेदक संस्थान से प्राप्त किये जाने वाली राशि (रूपये में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Class-III</td><td>घुनघुटी</td><td>RF-227</td><td>34.240</td><td>0.5 to 0.6</td><td>1228590</td><td>42066922</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Class-III</td><td>घुनघुटी</td><td>PF-779</td><td>12.248</td><td>0.5 to 0.6</td><td>1228590</td><td>15047770</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Class-III</td><td>घुनघुटी</td><td>(राजस्व वनभूमि)</td><td>18.553</td><td>0.5 to 0.6</td><td>1228590</td><td>22794030</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>योग</td><td>**65.041**</td><td></td><td></td><td>79908722</td></tr>
<tr><td colspan="6">उक्त अंडरग्राउंड कोल माईन हेतु डिपार्टमेंन्ट आफ माईनिंग इंजीनियरिंग इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी खड़कपुर से तैयार कराकर आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत Mining Subsidence Study report **अनुसार अधिकतम 20 वर्षो तक** Tensile strain 9.45 m per meter अनुमानित है।
भारत सरकार द्वारा जारी नवीन गाईडलाईन अनुसार अंडरग्राउंड माईनिंग बावत् Suface strain predicted by 3D subsidence prediction model के तहत Suface strain 5mm to 10 mm/m **होने पर 10 प्रतिशत NPV जमा कराये जाने के निर्देश है।**
अतः उक्त कोल माईन में प्रस्तावित **65.041** हे0 वनभूमि हेतु कुल एन.पी.वी. का **10** प्रतिशत गणना राशि –</td><td>10%</td><td>**7990872**</td></tr>
</table>

अधिरोपित शर्त क्र0-V के अनुपालन में उपरोक्तानुसार कुल NPV का 10 प्रतिशत राशि 7990872 (उन्यासी लाख नब्बे हजार आठ सौ बहत्तर रूपये मात्र) परिवेश पोर्टल के माध्यम से एड-हॉक कैम्पा मद में जमा कर चालान की प्रति एवं अधिरोपित समस्त शर्तो का पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे, तदानुसार अग्रिम कार्यवाही किया जा सके।

(विवेक सिंह)
IFS
वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल उमरिया/म.प्र.

Scanned with OKEN Scanner

पृ.क्रमांक/मा.चि./2024/ 1035 उमरिया, दिनांक/ 16/04/2024

प्रतिलिपिः-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) वनभवन भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त शहडोल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल उमरिया(म.प्र.)

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), वन भवन, तुलसी नगर, म.प्र., भोपाल

क्रमांक / एफ–1 / 839 / 2023 / 10–11 / 2000 भोपाल, दिनांक 08/04/2024

–:मांग पत्रः–

प्रति,

मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स, लिमिटेड,
इन्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेन्टर, सीलतारा,
रायपुर, (छत्तीसगढ़)–493111

विषयः– वन मंडल दक्षिण शहडोल के विभिन्न खसरों के रकबा 15.549 हे. राजस्व वनभूमि एवं वन मंडल उमरिया के वन कक्ष RF-227 & PF-779 के रकबा 46.488 हे. वनभूमि तथा विभिन्न खसरो की रकबा 18.553 हे. राजस्व वनभूमि कुल 80.59 हे. वनभूमि में शाहपुर पश्चिम कोल ब्लॉक अन्तर्गत भूमिगत कोयला उत्खनन तथा उपरिसतह उपयोग के व्यपवर्तन का–सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का प्रस्ताव।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक / SEML/SW/FC/58 दिनांक 02 / 04 / 2024

---0---

आपके द्वारा संदर्भित पत्र दिनांक 02 / 04 / 2024 से विषयांकित परियोजना के सम्बन्ध में वन्यप्राणी प्रबंधन योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की दिशा–निर्देशिका पुस्तक के अध्याय–1 के बिन्दु 1.22(i) 2% of total project cost towards the cost of implementation of the Wildlife Management plan and/or 0.5% of the project cost towards the cost of impliement of Soil and Moisture Conservation plan, as the cast may be, shall be charged from the user agency and deposited into the account of CAMPA and approval under the The Van(Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980; के अनुसार परियोजना की लागत 421.86 करोड़ रूपये है इसलिये वन्यप्राणी प्रबंधन योजना कार्यो की 02 प्रतिशत राशि रूपये 8.44 करोड़ जमा कराने हेतु मांग पत्र जारी करने का अनुरोध किया गया है।

अतः आपके द्वारा किये गये अनुरोध के परिप्रेक्ष्य में लेख है कि इस परियोजना की लागत राशि रूपये 421.86 करोड़ की वन्यप्राणी प्रबंधन कार्यो की 8.44 करोड़ रूपये (02 प्रतिशत राशि) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के एड–हॉक कैम्पा मद में ऑनलाईन जमा करें। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) भोपाल द्वारा वन्यप्राणी प्रबंधन योजना अनुमोदन उपरान्त अनुमोदित योजना के अनुसार अन्तर की शेष राशि आवेदक संस्था को जमा करना होगी।

08.04.24

(एच.एस.मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ–1 / 839 / 2023 / 10–11 / भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) वन, भवन, तुलसी नगर, भोपाल
2. मुख्य वन संरक्षक,शहडोल वृत्त, शहडोल मध्यप्रदेश।
3. वन मंडल अधिकारी, सामान्य वन मंडल, दक्षिण शहडोल / उमरिया म.प्र.।

की ओर आगामी कार्यवाही / सूचनार्थ प्रेषित है।

08.04.24

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल